



# जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। (राजस्व शाखा)

## इच्छा की अभिव्यक्ति

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, पश्चिमी सिंहभूम को जिला के समाहरणालय के विभाग कार्यों के लिए आउट सोरसिंग के द्वारा अनुभवी संस्थानों से इच्छा की अभिव्यक्ति के तहत निम्न शर्तों पर प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।

- (क) विभाग का नाम :- जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।  
 (ख) विज्ञापन दाता का नाम :- जिला समाहरणालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा  
 (ग) प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि :- दिनांक 15.09.2017 को 1:00 बजे अपराहन तक  
 (घ) प्रस्ताव खोलने की तिथि :- दिनांक 15.09.2017 को 4:00 बजे अपराहन  
 (ङ) प्रस्ताव प्राप्ति का स्थान :- उपायुक्त कार्यालय (राजस्व शाखा), पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।  
 (च) प्रस्ताव खोलने का स्थान :- उपायुक्त कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

### विवरणी निम्नलिखित है :-

#### 1. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय हेतु :-

क्रम संख्या	पद का नाम	संख्या	योग्यता
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	03	कम्प्यूटर अपलिकेशन के साथ मैट्रिक
2	सफाई कर्मी	10	शिक्षित

#### 2. भू-अर्जन, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय हेतु :-

क्रम संख्या	पद का नाम	संख्या	योग्यता
1	अमीन	06	ड्रफ्टस्मैन सर्टिफिकेट के साथ मैट्रिक
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	03	कम्प्यूटर अपलिकेशन के साथ मैट्रिक

#### 3. पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अंचल कार्यालय हेतु :-

क्रम संख्या	पद का नाम	संख्या	योग्यता
1	अमीन	05	ड्रफ्टस्मैन सर्टिफिकेट के साथ मैट्रिक
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	09	कम्प्यूटर अपलिकेशन के साथ मैट्रिक
3	चालक	01	वाहन चालन हेतु वैध लाईसेंस के साथ मैट्रिक

### तकनीकी शर्तें :-

- संस्थान को श्रम नियोजन से निबंधित होना अनिवार्य है।
- संस्थान को कार्यों का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव सरकारी विभागों से संबंधित होना आवश्यक है।
- संस्थान किसी भी काली सूची में न हो इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- संस्थान का वार्षिक टर्न-ओवर कम से कम 30 लाख होना चाहिए।
- संस्थान का निबंधन पत्र को स्व प्रमाणित छायाप्रति करना होगा।
- तकनीकी शर्त में संस्थान को तीन वर्षों का आंकेक्षित बैलेंस-शीट संलग्न करना होगा।
- संस्थान का अद्यतन आय कर वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17, पैन नम्बर, सेवा कर निबंधन से संबंधित स्व प्रमाणित कागजात संलग्न करना होगा। GST के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
- तकनीकी शर्तों में सफल होने वाले संस्थान का ही वित्तीय विवरणी खोला जाएगा।
- संस्थान को दो अलग-अलग मुहर बन्द लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय विवरणी देना होगा।
- उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को किसी संस्था को स्वीकार एवं रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- निविदा की शर्तें [www.chaibasa.nic.in](http://www.chaibasa.nic.in) पर देखा जा सकता है।

*(Handwritten Signature)*

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।